रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2369] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2014/कार्तिक 30, 1936
No. 2369] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2014/KARTIKA 30, 1936

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2014

का. आ. 2950(अ):—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 7 के साथ पठित धारा 6 की उपधाराओं (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायमूर्ति श्री प्रताप कुमार रे, कलकत्ता उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश को दिनांक 24 सितंबर, 2014 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके द्वारा सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17(13)/2013-पीएल/एनजीटी (पार्ट)]
विश्वनाथ सिन्हा,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2014

S.O. 2950(E):— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 and read with Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Shri Justice Pratap Kumar Ray, former Judge of High Court of Kolkata as the Judicial Member of the National Green Tribunal with effect from 24th September, 2014 for a period of five years or till he attains the age of sixty seven years, whichever is earlier.

[F. No. 17(13)/2013-PL/NGT (pt.)]
BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

4603 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.